



सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-19.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री प्रणव कुमार,
संवि०स०

“भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के पत्रांक 57/05/2021 पी०एन्ड०पी०डब्ल्यू० (बी), दिनांक 03.03.2023 एवं परिपत्र संख्या 25011/02/2021-ए०आई०एस-III (पेंशन) दिनांक 13.07.2023 के आलोक में केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि से पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर होने वाली नियुक्ति, जिनका योगदान भले ही नई पेंशन योजना लागू होने के पश्चात हुई हो, को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विकल्प दिया जाएगा। इस आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या-1/पेन-1001/2023-सा०प्र०-14593/पटना-15, दिनांक-01.08.23 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल 11 (ग्यारह) पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है, परन्तु बिहार सरकार के वैसे कर्मियों को उक्त लाभ नहीं दिया गया है।

सामान्य
प्रशासन

अतः बिहार सरकार के वैसे कर्मियों को, जिनकी नियुक्ति संबंधी विज्ञापन नई पेंशन प्रणाली लागू होने के पूर्व की है, को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

2. श्री अचमित ऋषिदेव,
संवि०स०

“अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के विशनपुर ग्रामीण
पंचायत अन्तर्गत मोती चौक विश्वास टोला से बनभाग कार्य
मुसहरी टोला होते हुए परमानंदपुर सीमा तक 2.5
किलोमीटर सड़क कच्ची है। जिससे बनभाग मुसहरी टोला
के अनुसूचित जाति के लोगों को आवागमन में कठिनाई
होती है।


अतः वर्णित सड़क को पक्कीकरण कराने के लिए
में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता
हूँ।”

राज कुमार
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/2024- 290 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 फरवरी, 2024 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/2024- 290 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 फरवरी, 2024 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्य मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय
मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/2024- 290 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 फरवरी, 2024 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता,
बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)


अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/2024- 290 / वि०स०, पटना, दिनांक- 16 फरवरी, 2024 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के
प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के
सूचनार्थ प्रेषित।


(संजीव कुमार)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।


16/2/24